/100

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2011/चैत्र 16, 1933

No. 582] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2011/CHAITRA 16, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2011

का.आ. 697(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के 0.000 कि.मी. से 592.000 कि.मी. (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र बोर्डर सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर 189.00 कि.मी. से 260.00 कि.मी. (कुल लम्बाई 71.00 कि.मी. जिसके अंतर्गत भारामासागरा बाईपास, जिसकी लम्बाई 2.400 कि.मी. है, और अनुमानित लागत 13.41 करोड़ भी है) चार लेन के डोडासीडानाहल्ली–हदादिया खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर विनिर्दिष्ट आधार दर पर निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट फीस उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी और प्राधिकरण को या तो अपने पदधारियों के माध्यम से या संविदाकार के माध्यम से उक्त फीस संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ. सं. म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी)	3.45
6.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :-

1. वर्ष 2010–11 के लिए स्थानीय निजी यातायात के लिए मासिक पास की दर 175 रुपये (एक सौ पचहत्तर रुपये) है, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है ।

2. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :-

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

3. जिस जिले में फीस प्लाजा पड़ता है वहां रजिस्टर किए गए वाणिज्यिक यानों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के यानों के लिए निर्धारित दर का 50 प्रतिशत होगा परन्तु ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई उपमार्ग अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

4. फीस का संग्रहण फीस प्लाजा 237.650 कि.मी. पर हेबबालू गांव के पास, जिला देवनगिरी, कर्नाटक राज्य पर किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/587/सीओ/10–11/जीसी चित्रदुर्गा (189.0–260.0)]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2011

S.O. 697(E).—Whereas, the Central Government, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transports (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, entrusted the stretch from km 0.000 to km. 592.000 (Bangalore to Karnataka/Maharashtra border section) of National Highway No.4, in the State of Karnataka, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rate, on the mechanical vehicles, specified in the following Table, for the use of the four lane Doddasiddanahally - Hadadi section from km. 189.00 — km. 260.00 (total length being 71.00 kilometers, including Bharamasagara bypass of 2.40 kilometers length with estimated cost of Rs. 13.41 Crores) on the National Highway No. 4 in the State of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE

Sl. No.	Type of vehicle	Base rate of Fee per vehicle per km. per one-way trip for base year 2007-08 (In rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

Note :—

1. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 175.00 (One Hundred Seventy Five Rupees) for the year 2010-11 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended.

2. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :—

Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

3. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

4. The fee shall be collected at the fee plaza situated at km. 237.650 near village Hebbalu in Davanagere District, in the State of Karnataka.

[F. No. NHAI/13013/587/CO/10-11/GC Chitradurga (189.0-260.0)]

B. B. MAHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.